UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– / दिनांकः–

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत दरमोली–पिठौली सम्पर्क मोटर मार्ग हेतु 1.19 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में। (लम्बाई 2.000 किमी0) (FP/UK/ROAD/8248/2014)

संदर्भः– भारत सरकार के पत्रांक 08बी / यू0पी0सी0 / 06 / 91 / 2018 / एफ0सी0 / 1575 दिनांक 11.10. 2019 एवं आपके आन लाईन EDS दिनांक 14.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में बिन्दुवार आख्या तैयार कर आन लाईन प्रेषित करते हुए हार्ड प्रतियों में निम्नवत आपको प्रेषित की जा रही है।

कंस0	बिन्दु	उत्तरालेख
1	In reply to point no. 01, State Government submitted that the copy of Part II,III and IV is enclosed but the same not found with the letter. State Government may submit the original copy of Part II,III and IV of the Proposal.	महोदय पार्ट– II,III एवं IV के समस्त प्रपत्रों हार्ड प्रतियां संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2	In reply to point no. 02, details of 217 trees still not corrected at para-4, Part-II, State Government may ensure that the correct detail of the trees is provided at part 4, Part-II online.	महोदय आन लाईन पार्ट– II का प्रपत्र संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया पार्ट–2 के पैरा 4 (ii) में अंकित (0-30cm) वाले व्यास में 4 वृक्षों का भी विवरण अंकित करने का कष्ट करें, ताकि वृक्षों का विवरण 217 हो सके।
3	In reply to point no.03 & 04 justification of the requirement of the road seems not satisfactory as the village is already on the road. State Government may submit clarification in this regard.	इस कम में स्पष्ट करना है कि ग्राम दरमोली एवं पिठौली की अधिकतर आबादी निर्मित मुख्य मार्ग के हिल साईड सीधे करीब 1.00 किमी0 से 0.500 किमी0 तक ऊंचाई में बसे हैं, जिन्हें आने–जाने हेतु सीधी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। जिससे ग्राम के बूढ़े, बिमार एवं छोटे–छोटे बच्चों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ग्रामवासियों द्वारा अपने स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय बैठकों में मोटर मार्ग निर्माण हेतु मांग तथा अनुरोध किया जा रहा है। महोदय उक्त कठिनाईयों एवं समस्याओं के कारण इस मोटर मार्ग का निर्माण कार्य जनहित में किया जाना अति आवश्यक है।

4	ग्राम पूर्व से ही मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है अतः 7 मी0 चौड़े एक अन्य मार्ग के निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। राज्य शासन वन क्षेत्र में उपलब्ध वन मार्ग की जानकारी प्रस्तुत करें तथा आवश्यकतानुसार वन मार्ग को उपलब्ध चौड़ाई में पक्का किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	महोदय आपको स्पष्ट अवगत कराया जाना है कि ग्राम दरमोली एवं पिठौली की अधिकांश आबादी मुख्य मोटर मार्ग से हिल साईड से लगभग सीधे 0.500 किमी0 से 1.00 किमी0 में खड़ी चढ़ाई में बसी हुई है। इसलिए उन्हें मुख्य मार्ग तक सीधे पहुंचने में खड़ी चढ़ाई एवं लगभग कास्त में 3 से 4 किमी0 पैदल दूरी तय कर पहुंच पाते हैं। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराया जाना है कि इस मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वन मार्ग नहीं है, जिसे मोटर मार्ग में परिवर्तित कर चौड़ा या पक्का किया जा सके। महोदय आपसे अनुरोध है कि उक्त ग्राम वासियों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए उक्त मोटर मार्ग को जनहित में स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(इं. धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड—लो0नि0विभाग,
नैनताल।

पत्रांकः— 2401 /18Mg दिनांकः—31/10/19

प्रतिलिपि तकनीकी अधिकारी (वानिकी), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर—केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

Speed Post

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार संलग्न सहित सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

31/10/19

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड—लो0नि0विभाग,
नैनताल।

फिन्द (17)

भाग– ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.FP/ Uk /Road /8248 /2014

7. परियोजना/स्कीम का स्थान – **दरमोली –पिठोली मोटर मार्ग का निर्माण**

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii) जिला	नैनीताल
iii) वन प्रभाग	नैनीताल वन प्रभाग
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	1.19 है0
v) वन की कानूनी स्थिति	व.प..तथा सिविल सो0
vi) हरियाली का घनत्व	0.3
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	वृक्षों की सूची संलग्न हैं ।
viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू–वैज्ञानिक रिपोट संलग्न हैं ।
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की x) वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन सीमा से 1 किमी0 दूरी
xi) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजंर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	नही
xii) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नही
xiii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेंत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नही
8– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	संलग्नक
9– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।	नही

10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः—

i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	सिविल एवं सोयम भूमि अधौडा
ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	संलग्न है।
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	6.06 लाख
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	संलग्न है।

11— जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) — संलग्नक

12— प्रभाग/जिला प्रोफाइल

i.	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	679400 है0
ii.	जिला का वन क्षेत्र।	402040 है0
iii.	मामलों की संख्या सहित 1980 से /व0प0भी वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	291 मामले 458.267 है0 जिसमें सि0सो0 सम्मल्लित हैं ।
iv.	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	977.890 है0
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	
	2018 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
(क)	वन भूमि पर	929.542 है0
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	

13— प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। — प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रसारित ।

दिनांक 30-5-2018

स्थान नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

भाग–III

दरमीली, पिठाली – सर्म्पक मोटर का निर्माण
(हस्तान्तरण भूमि)
(प्रस्ताव संख्या FP/Uk/Road/8248/2014)
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1- क्या वन स्थल जहॉ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है, का सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिर्पोट में किये गये हैं, को संलग्न करें।	हॉ प्रस्ताव के अनुरूप मार्ग की 2.00 किमी की लम्बाई तथा 7 मीटर चौड़ाई में बांज प्रजाति के कोई भी वृक्ष प्रभावित नही हो रहे हैं।
2- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख दी गई सूचना और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है।	हॉ सहमत
3- विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये सम्बन्धित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।	इस शर्त के साथ सहमति व्यक्त की जाती है, कि यदि याचक/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वृक्ष आदि किसी भी प्रजाति के प्रभावित होते है तो प्रत्यारोपण वृक्षों की लागत आदि का वहन स्वयं करेगा। अतः जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनॉक 04-06-2018
स्थान–नैनीताल

(डॉ तेजस्विनी अरविन्द पाटील)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

Scanned by CamScanner

भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः जनपद—नैनीताल में दरमौली, पिठाली— सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.19 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/8248/2014)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त परियोजना हेतु नैनीताल वन प्रभाग में 1.183 हे0 पंचायत वन भूमि एवं 0.007 हे0 सिविल सोयम भूमि अर्थात कुल 1.19 हे0 का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल तथा वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊ वृत्त, नैनीताल द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद—नैनीताल में दरमौली, पिठाली— सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः
नाम व पदनामः (मनोज चन्द्रन भा.व.से.)
मुख्य वन संरक्षक

सरकारी मोहरः
तिथि : 27 / 07 / 2018
स्थान : देहरादून

04(126)2018

PROPOSALNO- FP/UK/ROAD/8248/2014
PROPOSALNAME-Darmoli-pitholi-motor road

AREA - 1.19 Ha
District- Nainital

PART- V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Recommendation of the State Government:
(Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part-III or Part-IV above should be specifically commented upon)

RECOMMENDED

02/08/2018

Signature-

Name and designation

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव

Official seal

वन एवं पर्यावरण विभाग
उत्तराखण्ड शासन

पेज 2

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0116/2018

1. **Location of the project/Scheme :** Uttarakhand

(i)

State / Union Territory : Uttarakhand

(ii)

District : Nainital

(iii)

Forest Division : Nainital

(iv)

Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 1.19

(v)

Category of the Proposal: Road

2. **Legal status of forest land proposed for diversion**

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Nainital	1.183	Village Forest
2	Nainital	0.007	Civil Soyam land
Total		1.19	

Division 1. : Nainital

3. **District wise area to be diverted in the division**

S. No.	District	Area(ha.)
1	Nainital	1.19
Total		**1.19**

4. **Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion**

(i)

Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	1.19	0.3	Eco 5
Total.	**1.19**		

(ii) **Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL**

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Pyrus pashia	Mehal	5	8	6	1	0	0
2	Rhododendron arboreum	Burans	11	14	12	1	0	0
3	Myrica esculenta	Kafal	0	17	11	2	0	0
4	Alnus Nepalensis	Utish	0	0	0	0	0	1
5	Pinus roxburghii	chir	26	43	30	15	10	0
Total			**42**	**82**	**59**	**19**	**10**	**1**
Sub Total (No of Trees.)			213					

5. **Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :** No working plan

6. **Brief note on vulnerability of the forest area to erosion :** this area is not vulnerable to erosion.

7. **Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) :** 2.0

8. **Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view**

(i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : Kaker

(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

(iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

(iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. **Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion**

(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. **Details of violation(s), if any ,committed**

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. **Whether work in violation is still in progres(Yes/No) :** NIL

13. **Details of compensatory afforestation scheme**

(i).

Patch wise details of non-forest or Revenue forest land to be provided by User Agency for CA

Patch Wise Details						
S.no	District Name	Village	Area(in ha.)	khasra	KML file	Present Owner file
1	Nainital	Adhora	2.38	2923		

(ii).

Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:

(iii).

Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A:

Additional information Details

S. No.	Documents	Remarks
1		
2		C.A.scheme
3		Tree Datle

4		NPV calculation

14. District Profile

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Nainital	679400	402040	458.267	291	977.890	30/08/2017	929.542	0

15.

Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Nainital	South Kumaun	DFO	Yes	One		30/05/2018
	South Kumaun	CF	No		No Data	

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16.

Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Nainital	South Kumaun	DFO	Recommended			
	South Kumaun	CF	Recommended	Public Interst		Yes
		Nodal Officer	Recommended	as per file attached		

Specific recommendation of the State Government(Part V)

17.

Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason (Part V)

State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Uttarakhand	State Secretary	Recommended	03/08/2018	as per file attached	State Govt. Officer	No Data	

परियोजना का नाम – एस0 सी0 पी 0 के अन्तर्गत दरमोली पिठौली मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 किमी0।

प्रभावित वृक्षों की सूची

आज दिनांक 16.12.2009 को वन दरोगा प्यूड़ा अनुभाग एवं वन रक्षक कपलेश्वर बीट द्वारा लो0नि0वि0 के कर्मचारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण एवं वृक्षों की गणना की गई। मोटर मार्ग निर्माण में कटने वाले वृक्षों की सूची निम्नानुसार है।

वन पंचायत दरमोली (व्यासवार गोलाई)

कम सं0	वृक्ष प्रजाति	0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80 से ऊपर	योग
1	चीड़ हरा खड़ा	—	14	22	13	07	05	—	02	—	63
2	चीड़ सूखा	—	—	—	1	2	—	—	—	—	03
3	मेहल	—	03	06	03	01	—	—	—	—	13
4	काफल	—	—	09	06	01	—	—	—	—	16
5	उतीस	—	—	—	—	—	—	01	—	—	01
6	बुरांश	02	05	07	05	01	—	—	—	—	20
	योग	02	22	44	28	12	05	01	—	—	116

वन पंचायत पिठौली (व्यासवार गोलाई)

कम सं0	वृक्ष प्रजाति	0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80 से ऊपर	योग
1	चीड़ हरा खड़ा	—	12	21	16	06	02	—	1	—	58
2	मेहल	—	02	02	03	—	—	—	—	—	07
3	काफल	—	—	08	05	01	—	—	—	—	14
4	बुरांश	02	06	07	07	—	—	—	—	—	22
	योग	02	20	38	31	07	02	—	01	—	101
योग (वन पंचायत दरमोली एवं वन पंचायत पिठौली)										कुल प्रभावित वृक्ष	217

उप प्रभागीय वनाधिकारी (भू0)
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल.

वनक्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी